पाला / मूर्ति मन्दिर खेमजी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	395/2010 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/10/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा दखलयाबी मूर्ति मन्दिर खेमजी महाराज जरिये व्यस्थापक विरुद्द पाला एवं अन्य पेश हुआ जिसमे प्रतिवादी की और से ज़वाब प्रस्तुत हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11/05/2010 के जरिये वादी का वाद ख़ारिज करते हुये प्रतिवादी को मन्दिर की सेवा पूजा के लिये हर वर्ष 1000 रूपये प्रति बीघा सेवा पूजा के लिए दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से 1000 रूपये प्रति बीघा राशी से सम्बन्धित मत निर्णय जैर अपील से अपास्त किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मुख्य रूप से अपनी बहस में यही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो 1000 रूपये प्रति बीघा मन्दिर की सेवा पूजा किये जाने का सन्दर्भ निर्णय जैर अपील में अंकित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, तथ्य एवं दस्तावेजात के विपरीत है अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर काश्त कर वर्ष में एक फसल ही प्राप्त कर अपनी आजीविका की पूर्ति करता है ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी के लिये 1000 रूपये प्रति बीघा कि राशी अदा करना अत्यधिक कठिन है अत: 1000 रूपये प्रति बीघा की राशी अदा करने के संबध में निर्णय जैर अपील में अंकित मत अपास्त फरमाया जावे। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से निर्णय पारित किया गया है। अपील ख़ारिज फरमाई जावे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोहराने बहस इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह उज्र प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी के पास इस भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नही है एवं उक्त कृषि भूमि पर वर्ष में उगने वाली एक ही उपज से ही वह अपने तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करता आ रहा है तथा 1000 रूपये की प्रति बीघा राशी अदा करने पर अपीलार्थी के समक्ष अपने परिवार के भरण-पोषण का संकट उत्पन्न रहता है ऐसेमें न्यायहित में इस सन्दर्भ में शिथिलता दिया जाना उचित समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 11/05/2010 को मन्दिर की सेवा पूजा के लिये हर वर्ष 1000 रूपये प्रति बीघा सेवा पूजा के लिये प्रतिवादी/अपीलार्थी को अदा करने की हद तक आदेश को संशोधित किया जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थी को यह आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	395/2010 पाला / मूर्ति मन्दिर श्याम जी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रदान किये जाते है कि वे मन्दिर की सेवा पूजा के लिए हर वर्ष 600 रूपये प्रति बीघा सेवा पूजा के लिए अदा करेंगे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/10/2/को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	